न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 204/2025 (GCMS : 2025/320)

श्री रणजीत कुमार, उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

बनाम

1. **महेन्द्र सिंह** पुत्र श्री जय सिंह उम्र 84 वर्ष लगभग जाति सैनी सिख निवासी म.नं. 2/266, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर श्रीगंगानगर
2. **राजेन्द्र जीत सिंह** पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति सैनी सिख उम्र 60 वर्ष निवासी म.नं. 2/266, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (पुत्र)
3. **जसविन्द्र कौर** पत्नी श्री राजेन्द्रजीत सिंह जाति सैनी सिख उम्र 60 वर्ष निवासी म.नं. 2/266, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (पुत्र वधु)
4. **गुरनवदीप कौर** पुत्री श्री राजेन्द्रजीत सिंह जाति सैनी सिख उम्र 29 वर्ष निवासी म.नं. 2/266, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (पोती)
5. **गगनदीप सिंह** पुत्र राजेन्द्रजीत सिंह जाति सैनी सिख उम्र 31 वर्ष निवासी म.नं. 2/266, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (पोता)
6. **गुरकमल सिंह** पुत्र राजेन्द्रजीत सिंह जाति सैनी सिख उम्र 29 वर्ष निवासी म.नं. 2/266, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (पोता)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.07.2025

श्री रणजीत कुमार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगांगनगर के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रकरण संख्या 17/2025 अनवान् महेन्द्र सिंह बनाम राजेन्द्र जीत सिंह व अन्य को अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रकरण संख्या 17/2025 अनवान् महेन्द्र सिंह बनाम राजेन्द्र जीत सिंह व अन्य में **प्रार्थी ने "प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं इसलिए प्रार्थना पत्र वापस लेने**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:47 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

और कोई कार्यवाही नही करवाने का उल्लेख पत्रावली की फर्द पर करते हुए, पत्रावली को विड्रा करने की प्रार्थना करने पर'', तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण को विड्रा के स्थान पर, पत्रावली को गुणावगुण के आधार पर अन्तिम रूप देने हेतु, अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण करने की प्रार्थना के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अब चूंकि **तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। उभयपक्षकार अधनीस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.08.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पत्रावली दर्ज होकर, बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:47 IST
Reason: SelfAttested